

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

लखनऊ।

संख्या: 2018/43649/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2972/जेडी

दिनांक: अप्रैल 27, 2018

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई- पंचम्  
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

विषय:-

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-12/जी0एच0-7 वृन्दावन योजना लखनऊ को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अपने पत्र संख्या:- 942/नि0प्रा0-54/2017/वा0नि0-5 दिनांक 13.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक प्रस्तुत भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा निरीक्षण/परीक्षण किया गया जिनकी आख्या का परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

- 1- प्रश्नगत भवन के मानचित्र में फायर लिफ्ट एन0बी0सी0 पार्ट-04 के मानक के अनुसार लिफ्ट की क्षमता, फायर मैन स्विच, कम्यूनिकेसन सिस्टम इत्यादि का अंकन मानचित्र में नहीं किया गया है।
- 2- प्रश्नगत भवन के मानचित्र में एन0बी0सी0 में उल्लिखित मानकों के अनुसार इमरजेंसी/स्केप लाईटिंग व बैकप की क्षमता का अंकन नहीं किया गया है।
- 3- प्रश्नगत भवन के मानचित्र के बेसमेन्ट प्लान में ड्राईव वे 05 मीटर अंकित है जबकि 06 मीटर होना चाहिए।
- 4- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का स्कीमेटिक मानचित्र नहीं उपलब्ध कराया गया है।
- 5- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के टी-03 व टी-04 के द्वितीय तल का मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- 6- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का एरिया स्टेंटमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- 7- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में टावर के चारों तरफ मार्ग अंकित नहीं किया गया है।
- 8- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में स्मोक चेक डोर व उसकी रेटिंग का अंकन मानचित्र में नहीं किया गया है।
- 9- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में इंटरनल व एक्सटरनल स्टेयरकेश पास-पास ही अंकित है जबकि एन0बी0सी0 मानक के अनुसार रिमोट टाईप के होने चाहिए।
- 10- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में पी0ए0 सिस्टम व एम0पी0सी0 का अंकन नहीं किया गया है।
- 11- प्रश्नगत भवन के मानचित्र व फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में फायर पम्प की क्षमता अलग-अलग अंकित किया गया है।
- 12- फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है।  
अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अभिलेख अधीक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

Amr-Sheeb

3-2-18

27/04/2018  
(ए0बी0पाण्डेय)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आई0 लखनऊ को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि एक प्रति सम्बन्धित को हस्तगत कराकर दूसरी प्रति अभिलेखार्थ वापस करने हेतु।

श्री कृष्ण  
30 अप्रैल 2018  
Balkhan  
04.05.2018  
श्रील खर